तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज निगरानी./टीए/2637/2005/भरतपुर पूरन बनाम चन्द्रभान	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15-06-2018	**एकल पीठ** **श्री महावीर सिंह, सदस्य** **उपस्थित-** श्री अशोक अग्रवाल, अधिवक्ता प्रार्थी अप्रार्थी पक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं **निर्णय** हस्तगत निगरानी धारा 230, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम, 1955) के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी, बयाना, जिला भरतपुर द्वारा प्रकरण संख्या 11/2001 अनुवानी पूरन बनाम छिद्दन लाल में पारित आदेश दिनांक 18-3-2005 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी पक्ष की बहस निगरानी के ग्राह्यता पर सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने निगरानी मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादीगण-प्रार्थीगण की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89, 188 के तहत वाद प्रतिवादी-गैर निगराकार के विरुद्ध प्रश्नगत आराजीयात स्थित ग्राम ब्रह्मवाद, तहसील बयाना के सम्बन्ध में विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था। वादपत्र में विचारण न्यायालय ने वादी व प्रतिवादी की साक्ष्य बन्द करने का आदेश पारित किया। योग्य अधिवक्ता ने कथन किया कि निगराकारान-वादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था कि साक्ष्य वादी में तैयार किए गए शपथपत्रों को पत्रावली पर लिया जाये किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अविधिक रुपसे आदेश पारित करते हुये प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किया है। योग्य अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि प्रार्थना पत्र को स्वीकार नहीं करने से प्रकरण में अनावश्यक वाद बाहुल्यता होगी और गुणावगुण आधारित निर्णय नहीं हो पायेगा। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को अपास्त किया जाये, निगरानी स्वीकार की जाये और प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाये। अप्रार्थी पक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।	

तारीख हुक्म	**हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज** **निगरानी./टीए/2637/2005/भरतपुर** **पूरन बनाम चन्द्रभान**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	हमने विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी पक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली में प्रस्तुत रिकार्ड का एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन वाद में वादी द्वारा साक्ष्य करने से इन्कार करने के कारण, वादी की साक्ष्य बन्द की है और प्रतिवादी की साक्ष्य बन्द की गई है। वादी की साक्ष्य बन्द करने के आदेश के उपरान्त वादी–प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र साक्ष्य वादी में तैयार कराए गए शपथ पत्रों को पत्रावली पर लिए जाने बाबत् प्रस्तुत किया गया है। पूर्व में पत्रावली पर साक्ष्य आ चुकी है। प्रार्थना पत्र साक्ष्य बन्द करने के उपरान्त प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र साक्ष्य बन्द करने के उपरान्त प्रस्तुत करने से, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को निरस्त करने में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं की है। निगरानी के सीमित दायरे के अन्तर्गत इस प्रकार के आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप निगरानी के माध्यम से किया जाना उचित नहीं है। फलतः निगरानी सारहीन पाए जाने से ग्राह्यता के स्तर पर ही **खारिज** की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार हो कर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो कर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(महावीर सिंह)** **सदस्य**	